

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
5, हार्डिंग रोड, पटना-800001
(वेबसाइट- <https://bpssc.bihar.gov.in>)

बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि-26.10.2025

विज्ञापन संख्या-05/2025

बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:-

क्र०	पद	वेतनमान	रिक्तियों की संख्या
1.	पुलिस अवर निरीक्षक, (Police Sub-Inspector)	लेवल-6	1799 (एक हजार सात सौ निन्यानवे)

इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या-05/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक-26.09.2025 से प्रारंभ होगी।

- उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र प्राप्त किया जायेगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित/वर्णित प्रावधान:- (i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक-23/नियुक्ति-01-97/2025, सा0प्र0 17382, दिनांक-15.09.2025 द्वारा प्राप्त अधियाचना (ii) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) (iii) बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) अधिसूचना

संख्या-4/B1-101/2004-7025 दिनांक-30.08.2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) एवं अधिसूचना संख्या-6455 दिनांक-07.08.2019 (iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 (उम्र सीमा में देय छुट) (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-294, दिनांक-07 जनवरी, 2016 (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-13185, दिनांक- 03 सितम्बर, 2015 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-11/आ0नी0-1-10/2015-सा0प्र0-2526, दिनांक-18.02.2016 (राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण) (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक- 26 फरवरी, 2019 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली, 2019 (viii) विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-1520, दिनांक 23 फरवरी, 2019 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019 (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्र संख्या-6168, दिनांक-31.03.2023 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्र संख्या-12123 दिनांक-23.06.2023 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) (x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-963, दिनांक-20 जनवरी, 2016 (xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण) (xii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-09.07.2025 (बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होने के संबंध में) (xiii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-11/आ0नी0-1-02/2014-सा0प्र0-12722, दिनांक-12 सितम्बर, 2014 एवं बिहार सरकार, गृह विभाग, (आरक्षी शाखा) का संकल्प ज्ञापांक-386, दिनांक-14.01.2021 (किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर से संबंधित) (xiv) गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-8/ब2-10-24/2019 गृ0आ0 9186/पटना, दिनांक-05.11.2019 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा उक्त रिक्तियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।

4. आवेदन के लिए पात्रता:-

4.1 भारतीय नागरिक (Indian) होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेन्डर आवेदन कर सकते हैं।

4.2 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता:- दिनांक-01.08.2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

4.3 उम्र सीमा की गणना:- उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2025 के आधार पर की जायेगी, परन्तु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक-01.08.2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।

4.4 अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक- 01.08.2025 को “मैट्रिक अथवा समकक्ष” प्रमाण-पत्र के अनुसार निम्नवत् होगी:-

- (1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष।
- (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष।
- (3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष।

नोट:- उपरोक्त बिंदु (1), (2) तथा (3) के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना दिनांक-01.08.2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना दिनांक-01.08.2024 को आधार मानकर की जाएगी।

- (4) “बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो।
- (5) असैनिक पदों पर नियुक्त हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट-ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- (6) अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म-तिथि के आधार पर की जाएगी।

4.5 **अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड:-** ऊँचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे।

(क) **ऊँचाई -**

- (1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए- न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर।
- (2) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए- न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर।
- (3) सभी वर्गों की महिलाओं के लिए- न्यूनतम ऊँचाई 155 सेन्टीमीटर।

(ख) **सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए) -**

- (1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए-
बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)।

- (2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर- 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)।

- (3) महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी।

(ग) **वजन-** सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है।

(घ) **किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रान्सजेन्डर (थर्ड जेन्डर)** अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदण्ड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे।

5. **नियुक्ति की प्रक्रिया:-**

(अ) **लिखित प्रतियोगिता परीक्षा:-**

- (i) आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरान्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी यथा-प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे।

(ii) **प्रथम चरण:- प्रारम्भिक परीक्षा-** प्रारम्भिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी।

उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। इसमें 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किये जायेंगे। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 (बीस) गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जायेगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा।

विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहु-सत्रीय/बहु-प्रश्नपत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु सामान्यीकृत (Normalized) अंकों की गणना इक्वि-पर्सेंटाइल पद्धति (Equi-Percentile Method) से की जाएगी।

- (iii) **द्वितीय चरण:- मुख्य परीक्षा-** प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा। मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे।
- (क) प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिन्दी का 2 (दो) घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अहर्ताक 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जायेगा।
- (ख) द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से सम्बन्धित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी।
- (iv) दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी।
- (v) मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 (छः) गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जायेगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा।
- (ब) **तृतीय चरण:- शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा-** निम्नांकित शारीरिक योग्यता/ दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा।
- (i) **दौड़ -**
सभी कोटि के पुरुषों के लिए- 1 (एक) मील (1.6 कि०मी०) की दौड़ के लिए समय सीमा- 6 मिनट 30 सेकेंड। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए- 1 (एक) किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा- 6 मिनट। अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित होंगी।

(ii) ऊँची कूद-

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - न्यूनतम 4 (चार) फीट
4 (चार) फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।
सभी कोटि की महिलाओं के लिए - न्यूनतम 3 (तीन) फीट
3 (तीन) फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(iii) लंबी कूद -

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - न्यूनतम 12 (बारह) फीट
12 (बारह) फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।
सभी कोटि की महिलाओं के लिए - न्यूनतम 9 (नौ) फीट
9 (नौ) फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(iv) गोला फेंक -

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - 16 पाउण्ड का गोला न्यूनतम
16 (सोलह) फीट फेंकना होगा।
16 (सोलह) फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।
सभी कोटि के महिलाओं के लिए - 12 पाउण्ड का गोला न्यूनतम
10 (दस) फीट फेंकना होगा।
10 (दस) फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

नियत समय (पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकेण्ड एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट) में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊँची कूद, लम्बी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा/स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग-अलग सफल होना होगा। मात्र ऊँची कूद, लम्बी कूद एवं गोला फेंक में अधिकतम तीन मौका दिया जाएगा।

(v) **किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) के लिए-** बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का संकल्प ज्ञापांक-386, दिनांक-14.01.2021 की कण्डिका 5(III) के अनुसार “ट्रांसजेन्डर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान रहेंगे। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सामान्य विज्ञापन अनुसार रहेगी और अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के समरूप छूट प्राप्त होगी। अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र उनके ट्रांसजेन्डर होने के निमित्त प्रस्तुत करना होगा।

6. मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा:-

- (i) उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए **अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा-क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी।** लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म-तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म-तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात् अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे।
- (ii) शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथोल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- (iii) मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जानेवाली अन्तिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ताक 32 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ताक 36.5 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ताक 40 प्रतिशत होगा।
- (iv) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित ‘नियुक्ति प्राधिकार’ को नियुक्ति हेतु भेजी जाएगी।

7. रिक्ति:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक-23/नियुक्ति-01-97/2025, सा0प्र0 17382, दिनांक-15.09.2025 द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार पुलिस अवर

निरीक्षक पद की रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	पदनाम	पुलिस अवर निरीक्षक		
		कुल पद	महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद (35%)	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए आरक्षित पद
1.	अनुसूचित जाति	210	74	36
2.	अनुसूचित जनजाति	15	05	
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	273	96	
4.	पिछड़ा वर्ग	222	78	
5.	पिछड़े वर्गों की महिला	42	00	
6.	अनारक्षित	850	298	
7.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	180	63	
8.	ट्रांसजेन्डर	07	00	
	योग	1799	614	36

8. आरक्षण:-

(i) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

(ii) महिलाओं के लिए प्रावधान:-

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम 3, 1992) (समय समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पद, प्रत्येक आरक्षण कोटि में, अलग-अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-09.07.2025 के द्वारा 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमान्य किया गया है।

परंतु, यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में शेष रिक्ति को उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

परंतु, यह भी कि बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4(3) में निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी।

- (iii) **बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए प्रावधान:-**
सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-13185, दिनांक-03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।
- (iv) “बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019” के प्रावधान लागू होंगे। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 की आय एवं परिसम्पतियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण-पत्र अनुमान्य होगा।
- (v) **बिहार राज्य के किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) के लिए प्रावधान:-**
बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-47 पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया है। बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या-12722, दिनांक-12 सितम्बर, 2014 के अनुसार किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) व्यक्तियों को राज्य सरकार की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा।
- (vi) आरक्षण का लाभ, केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी। तदनुसार उनके लिए अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतएव अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवेदन-पत्र में स्वयं को अनारक्षित कोटि/श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

9. **कट ऑफ तिथि:-** सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट-ऑफ तिथि 01 अगस्त, 2025 निर्धारित की जाती है।

10. **नियुक्ति प्राधिकार:-** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार “पुलिस अवर निरीक्षक” पद हेतु “नियुक्ति प्राधिकार” पुलिस उप-महानिरीक्षक होंगे।
11. **चिकित्सीय जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन-**
उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जाएंगे।
12. लिखित परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग तथा प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी अद्यतन निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।
13. **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-** उपरोक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है। विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में आयोग की वेबसाइट- <https://bpssc.bihar.gov.in> के Bihar Police Tab पर विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य (परीक्षा शुल्क के रूप में) पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा। आवेदन-पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन-पत्र के मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र का रजिस्ट्रेशन करने/आवेदन-पत्र समर्पित करने के बाद आवेदन-पत्र के शुल्क को संबंधित बैंक से चार्ज बैंक की मांग कर वापस ले लिया जाएगा उनके आवेदन-पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
14. सभी वर्ग/कोटि की पुरुष/महिला एवं थर्ड जेन्डर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 100/- (एक सौ) रुपये है।
15. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगा, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) प्रयोग करने पर बैंक चार्ज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) एवं नेट बैंकिंग (Net Banking)/UPI के ट्रान्जेक्शन (Transaction) ही अनुमान्य होंगे इसके अतिरिक्त कोई अन्य Payment Mode मान्य नहीं होगा।
16. **ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश :-**
(i) *ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ*

सही-सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

- (ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट-<https://bpssc.bihar.gov.in> के “Bihar Police” Tab पर जाकर Advt. No. 05/2025 से संबंधित लिंक पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन-पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।
- (iii) पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी रखें जो यथासम्भव आपके नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी अनिवार्य है। यदि आपकी अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) नहीं है तो अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई-मेल आईडी (e-mail Id) एवं आपके मोबाइल फोन पर साझा की जाएँगी।
- (iv) भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक आयोग अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर / ई-मेल आईडी पर संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान दिया गया है। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई-मेल आईडी के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।
- (v) अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के बाद Payment Gateway द्वारा लौटा दी जाएगी।
- (vi) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन-पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा।

यही रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड (Password) आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आई0डी0 पर भी भेजा जायेगा।

- (vii) आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।
- (viii) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
- (ix) अभ्यर्थी दसवीं/समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी जन्म-तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरेंगे। **प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।**
- (x) **आवेदन-पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं।**
- (xi) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट-state.bihar.gov.in पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें।
- (xii) **ऑनलाइन आवेदन पत्र:-**
ऑनलाइन आवेदन-पत्र दो भागों में भरा जायेगा-
- (क) **ऑनलाइन आवेदन-पत्र के प्रथम भाग** में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई0डी0, बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल), आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्म-तिथि संबंधी जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन एवं ई-मेल आई0डी0 के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड (Password) SMS/E-mail द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण 'Edit' (सुधार) करने की सुविधा है।

पंजीकरण रद्दीकरण - यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट (Edit) नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण (Cancel Registration Form) प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं। किन्तु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

- (ख) सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद **ऑनलाइन आवेदन-पत्र के द्वितीय भाग** में वांछित सूचनाएँ यथा- पिता/पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद (i) आवेदक का फोटोग्राफ, रंगीन एवं दो माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैक ग्राउन्ड सफेद हो, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में एवं (ii) हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में (काली एवं नीली स्याही) से अलग-अलग, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, जो सफेद बैक ग्राउन्ड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।
- (ग) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्णरूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से समर्पित (Submit) करने से पहले आवेदक “Edit Details” के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि (Confirm) और समर्पित (Submit) करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। आवेदन-पत्र सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ई-मेल आई0डी0 पर एक पुष्टिकरण संदेश (SMS/E-mail) प्राप्त होगा तभी आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट/समर्पित किए गये आवेदन-पत्र के विवरण को सही मानते हुए आयोग आवेदन-पत्र में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली-भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे।
- (घ) गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र को रद्द कर नया आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया:- यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन-पत्र गलत/त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित (Submit) हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आवेदक रद्दीकरण (Cancel) प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है।

परन्तु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

17. महत्वपूर्ण निर्देश :-

भरे गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र की पावती (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

18. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि निर्धारित है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

19. उम्मीदवारी रद्दीकरण- आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है:

- (i) आवेदन पत्र का प्रथम भाग (पंजीकरण) भरा जाना, परन्तु द्वितीय भाग को भर कर Submit न करना।
- (ii) आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य का फोटो एवं हस्ताक्षर का upload किया जाना।
- (iii) आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चाजबैंक के रूप में प्राप्त कर लेना।
- (iv) आवेदन में गलत सूचना दिया जाना।
- (v) गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना।
- (vi) आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना।
- (vii) आवेदन में जन्म-तिथि गलत अंकित करना।
- (viii) आवेदन में गलत लिंग (Gender) अंकित करना।

- (ix) आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे- विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट-ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण न करना तथा भारत का नागरिक न होना आदि।
- (x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना।
- (xi) प्रमाण-पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत/समर्पित न करना, जैसे-
- (क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण-पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से।
- (ख) आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा अनारक्षित कोटि का पाया जाना, आदि।
- (xii) आवेदक का किसी आपराधिक काण्ड/गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना।
- (xiii) आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना। इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं।
- (xiv) आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या धमकी देना अथवा देने का प्रयास करना।
- (xv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए।
20. आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से संबंधित प्रवेश-पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से एवं आयोग की वेबसाइट पर यथा समय दी जायेगी। कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/E-Mail के माध्यम से दी जा सकती है। अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन/ई-मेल आईडी सक्रिय/जारी रखें।
21. ऐसी विवाहित महिलाएँ जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पायी जायेंगी उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जाँच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। विवाहित महिला अभ्यर्थियों को गर्भवती नहीं होने के सम्बन्ध में एक घोषणा-पत्र भी देना होगा।

22. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 06 माह का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा- पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।

ह0/-

अध्यक्ष,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
बिहार, पटना।

पत्र संख्या बि0पु0अ0से0आ0/परीक्षा-01-06/2025-789

दिनांक-23.09.2025

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,

5, हार्डिंग रोड, पटना।

- प्रतिलिपि:-1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।
3. संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ।

ह0/-

अध्यक्ष,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
बिहार, पटना।